

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांक 09.02.2025

थाना किरतपुर/स्वाट सर्विलांट टीम द्वारा मु0अ0सं0 22/25 धारा 331(4)/305ए में वांछित 04 अभियुक्तो को घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल, ताला तोडने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार तथा कब्जे से संपूर्ण राशि 5,82,812/- रुपये की गयी बरामद।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.02.2025 को वादी एरिया मैनेजर (मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड) श्री दलीप सिंह पुत्र श्री महिपत सिंह निवासी ग्राम कफल्डी पौढी गढवाला उत्तराखण्ड ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड की शाखा से शटर व अलमारी का ताला तोडकर क्लेक्शन का 5,82,812/- रुपये अज्ञात चोर द्वारा चोरी किया



गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 22/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उक्त घटना के दृष्टिगत विरष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा स्थानीय पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी के अवलोकन व क्लेक्शन एजेन्टो से की गयी पूछताछ के क्रम में अभियोग में 1- अमन कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम सरकडा विश्लोई थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद 2- बलविन्द्र उर्फ अनिकेत पुत्र गोखरन सिंह निवासी ग्राम पीपली नायर थाना टाण्डा जनपद रामपुर 3- वसीम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बेल्डा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर 4- मोहित पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम मौहम्मदपुर तहसील बहेडी थाना शेरगढ जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही -

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 1- अमन कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम सरकडा विश्नोई थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद 2- बलविन्द्र उर्फ अनिकेत पुत्र गोखरन सिंह निवासी ग्राम पीपली नायर थाना टाण्डा जनपद रामपुर 3- वसीम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बेल्डा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर 4- मोहित पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम मौहम्मदपुर तहसील बहेडी थाना शेरगढ जनपद बरेली को घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलो सिंहत गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों की निशादेही पर चोरी के कुल 5,82,812/- रुपये, घटना में प्रयुक्त सब्बल, अभियुक्त अमन द्वारा लपेटी गयी चादर व लाल रंग का टोपा जोकि सीसीटीवी में दिख रहा है, को बरामद किये गये। अभियोग में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धी की गयी है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुछताछ का विवरण -

अभियुक्त वसीम उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि इस ब्रांच में पूर्व में अमन ब्रांच मैनेजर था, जो दिनांक 26.12.2024 को नौकरी छोड़कर चला गया था, जिसको वह अच्छी तरह से जानता था। दिनांक 09.01.2025 से 12.01.2025 तक अमन उसके कमरे पर क्का था तथा उसके कमरे पर मोहित शर्मा भी रहता था। अमन ने उससे कहा था कि उसके ऊपर काफी कर्जा है यदि कही से पैसे की व्यवस्था हो जाये तो उसका कर्जा उतर जायेगा। जिस कारण वसीम, मोहित व अमन के द्वारा ब्रान्च से चोरी करने की योजना बनाई।

योजना के अनुसार दिनांक 05.02.2025 को अमन व उसका एक अन्य रिश्तेदार अनिकेत उर्फ बलिवन्द्र मोटरसाइकिल से किरतपुर आये तथा वसीम ने योजना के अनुसार ब्रान्च के बंद होने के बाद ब्रान्च की चाबी खाली प्लाट में अमन को दे दी। अमन पीली चादर से मुंह ढके हुये था तथा लाल टोपा लगाये हुये था और चादर में छिपाकर अपने साथ सब्बल लिये हुए था। रात्रि में अमन व अनिकेत ब्रान्च के अंदर घुस गये तथा वसीम व मोहित बाहर रहकर निगरानी करने लगे। अमन व अनिकेत ने वसीम द्वारा दी गयी चाबी से ब्रान्च का मेन गेट व जीने वाला गेट खोला तथा सब्बल से अलमारी का ताला तोडकर उसमे रखे पैसे निकाल लिये और बाहर आकर मोहित व वसीम को दे दिये और सभी दो मोटरसाइकिलो पर बैठकर मौके से फरार हो गये तथा पैसो को मोहित व वसीम ने कमरे पर लाकर छुपा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

- 1- अमन कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह नि0 ग्राम सरकडा विश्नोई थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।
- 2- बलविन्द्र उर्फ अनिकेत पुत्र गोखरन सिंह नि0 ग्राम पीपली नायर थाना टाण्डा रामपुर।
- 3- वसीम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम बेल्डा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4- मोहित पुत्र वेदप्रकाश शर्मा नि0 ग्राम मौहम्मदपुर तहसील बहेडी थाना शेरगढ जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरण-

- 1- कुल 5,82,812/- रुपये।
- 2- घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल UP22AL-3072 एचएफ डीलक्स तथा मोटरसाईकिल HR41H-1172 स्प्लेण्डर प्लस ।
- 3- घटना के समय अभि0 अमन द्वारा लपेटी गयी चादर व लाल रंग का टोपा जोकि सीसीटीवी में दिख रहा है।
- 4- ताला तोडने में प्रयुक्त सब्बल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

- 1- श्री राकेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2- उ0नि शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3- उ0नि0 ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4- मुख्य आरक्षी सनी राज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 5- मुख्य आरक्षी लालू यादव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 6- आरक्षी पुनीत त्यागी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 7- स्वाट/ सर्विलांस टीम



प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक - 09.02.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 56/25 धारा 3 / 5(2) विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.02.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी के पुत्र का प्रेम प्रसंग शायमा पुत्री शाहिद निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर से चल रहा है। दिनांक 08.02.2025 को शायमा व उसकी माँ रुखसाना तथा उसके पिता शाहिद ने वादी के बेटे को शादी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया वादी के बेटे का नाम माहिर अंसारी कर दिया एवं मदरसे में



निकाह करा दिया है। सम्पूर्ण घटना में मौलाना कारी इरशाद भी शामिल है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3/5(2) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

थाना धामपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1.शायमा पुत्री शाहिद 2.रुकसाना पत्नी शाहिद 3.शाहिद पुत्र जमीर निवासीगण नई सराय करूबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 4.मौलाना कारी इरशाद पुत्र अब्दुल गफूर निवासी पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर एवं प्रकाश मे आये 5.गुफरान पुत्र ताहिर निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

- 1.शायमा पुत्री शाहिद निवासी नई सराय करबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.रुकसाना पत्नी शाहिद निवासी नई सराय करूबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.शाहिद पुत्र जमीर निवासी नई सराय करूबा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.मौलाना कारी इरशाद पुत्र अब्दुल गफूर निवासी पुराना धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5.गुफरान पुत्र ताहिर निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2. उ0नि0 कुलभूषण सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3. हे0कां0 517 कपिल आर्य थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4. कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5. म0कां0 400 पूनम शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 6. म0कां0 ८५० सपना थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 7. का० २०६२ धर्मेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 8. चालक हे0का0 सुनील सिरोही थाना धामपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक - 09.02.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 537/24 धारा 420/406/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 29.10.2024 को वादिया श्रीमती तसलीमा पत्नी मौ0 अहमद अंसारी निवासी मौ0 कामराजपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.गजेंद्र पुत्र सोमेन्द्र सिंह 2.चंद्रप्रकाश पुत्र सोमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पपावर खुर्द उर्फ बगीची थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर वादिया को विश्वास में लेकर धोखाधडीपूर्वक 51 लाख 91 हजार रूपये हङप



धोखाधडीपूर्वक 51 लाख 91 हजार रूपये हङप लिये । इस सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 537/24 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

आज दिनांक 09.02.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र सोमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पपावर खुर्द उर्फ बगीची थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गजेन्द्र पुत्र सोमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पपावर खुर्द उर्फ बगीची थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2-हे0कां0 497 भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3-हे0कां0 चालक राजीव खोखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



दिनांक - 09.02.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.02.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नजीबाबाद	अंकित पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ खैरूल्लापुर थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर।
2	नगीना	मन जोशी पुत्र नीरज जोशी निवासी मोहल्ला जोशियां थाना नगीना जनपद बिजनौर।







प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 09.02.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 15/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) में वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 06.02.2025 को वादी श्री महबूब पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 06.02.2025 को अभियुक्तगण 1- सलमान पुत्र सलाम 2- आदिल पुत्र सरीफ 3- हारुन पुत्र रहीम 4- समीर पुत्र रहीम 5- जहांगीर पुत्र रहीम 6- सरताज पुत्र सलाम 7- सराफत पुत्र सरीफ निवासीगण ग्राम पीपलीजट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा पुरानी रंजिश के चलते वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से वादी



व वादी के परिजनों पर वार किया गया तथा घर में रखा सामान तोड फोड करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी।

इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही -

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण 1- आदिल पुत्र शरीफ 2- सरताज पुत्र सलाम निवासीगण ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजौर को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

उपरोक्त अभियोग में हारुन पुत्र रहीम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- ____ 1-आदिल पुत्र शरीफ निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 2-सरताज पुत्र सलाम निवासी ग्राम पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आदिल उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 67/21 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना शिवाला कलां बिजनौर।
- 2- मु0अ0स0 15/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरताज उपरोक्त –</u>

1- मु0अ0स0 15/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/109(1)/333/324(4) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 2-मुख्य आरक्षी प्रकाशवीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
- 3- आरक्षी शिव शंकर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।